

**समक्ष:- विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर (छ.ग.)**

प्रस्तुति दिनांक- 05.01.2026

अंतिम तर्क- 11.02.2026

आदेश दिनांक- 12.03.2026

जाचक क्रमांक ...267...  
दिनांक 12.03.2026

**प्रकरण क्रमांक BSP/25095**

श्रीमती जयवन्ती वाहने पति श्री डी.बी. वाहने,  
स्वागत गेट के पास, पोड़ीबहार, कोरबा (छ.ग.)  
(बी.पी. नं. 1006251137)

.....परिवादी

/विरुद्ध/

1. कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग  
छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 कोरबा (छ0ग0)
2. सहायक अभियंता (पोड़ीमार जोन)  
छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 पोड़ीमार, कोरबा (छ0ग0)

..... अनुज्ञप्तिधारी

**समक्ष:-** मान0 श्री सी0एम0बाजपेयी (अध्यक्ष)  
मान0 श्रीमती प्रीति रानी साव (सदस्य)

**अंतिम तर्क में उपस्थित-**

परिवादी की ओर से:- श्री अशोक कुमार वाहने उपस्थित। (11.02.2026)

अनुज्ञप्तिधारी की ओर से:- श्री के.सी. जोशी उपस्थित। (11.02.2026)

/आदेश/

(द्वारा - प्रीति रानी साव, सदस्य)

1. छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 के अनुसार परिवादी ने विद्युत देयक पुनरीक्षित करने का अभिकथन करते हुए पुनरीक्षित देयक प्रदाय करने का निवेदन किया है।
2. परिवादी का परिवाद पत्र में इस प्रकार है कि:-

विषयांकित संदर्भ में निवेदन है कि स्मार्ट मीटर बी.पी. क्रमांक- 1006251137 में माह नवंबर 2025 की स्थिति में विकलन/आकलन समायोजन राशि 12872.89 रुपये जोड़कर कुल 18740 रुपये विद्युत खपत का बिल प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में लेख है कि, दिनांक 19.05.2025 को स्मार्ट मीटर से विद्युत की सप्लाय बंद होने की सूचना लिखित रूप में सहायक अभियंता कार्यालय पाड़ीमार जोन को दे दिया गया था। उक्त सूचना के बावजूद स्मार्ट मीटर में विद्युत की सप्लाय नहीं होने पर श्रीमती अनुभा लकरा सहायक अभियंता को सूचित किया गया था। तब उनके द्वारा बोला गया कि विद्युत लाइन फिलहाल सुचारु नहीं है तो आप

अस्थाई लाईन जोड़ने की व्यवस्था स्वयं कर लो, अगले दिन लाईन को मीटर से विद्युत सप्लाई सुचारु कर दिया जाएगा। इस आशा से हम विद्युत लाईन पोड़ीबहार में निवासरत अजय प्राईवेट लाईन मेन से अस्थाई कनेक्शन जोड़वा दिया था किंतु अनुभा लकरा सहायक अभियंता द्वारा खराब स्मार्ट मीटर को ठीक न कराकर विद्युत सप्लाई नहीं कराया गया उल्टे, अपना विजलेंस टीम के साथ डायरेक्ट विद्युत सप्लाई अपने घर में लिया है, करके विकलन/आकलन समायोजन राशि 12872.89 रुपये को जोड़ते हुए कुल 18740 रुपये का विद्युत खपत का बिल जुर्माना सहित दे दिया गया।

महोदय मेरे द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय पाड़ीमार में स्मार्ट मीटर बिगड़ने की सूचना दिनांक 19.05.2025 को देने के बावजूद बगैर सुनवाई के माह नवंबर 2025 के विद्युत बिल में राशि 12872.89 रुपये जुर्माना राशि जोड़कर कुल 18740 रुपये विद्युत खपत का बिल दिया गया है, जो मेरे प्रति अन्यायपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है। बगैर सुनवाई के उक्त त्रुटिपूर्ण बिल में संशोधन करते हुए पुनः विद्युत बिल मुझे प्रदाय नहीं किया जाता है, तब तक मैं अन्यायपूर्ण उक्त बिल भुगतान कर पाने में असमर्थ हूं।

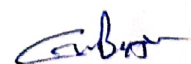
अतः संशोधित विद्युत खपत का बिल प्रदाय करने की कृपा करें, ताकि मैं भुगतान कर सकूं। मैं एक वृद्ध महिला हूं (उम्र 72 वर्ष) उक्त मकान में मैं अकेले रहती हूं, मेरे द्वारा विद्युत खपत न्यूनतम किया जाता है।

3. अनुज्ञप्तिधारी सहायक अभियंता (पोड़ीमार जोन) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 पोड़ीमार कोरबा ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक/334183/राजस्व/2025-26/2270 पोड़ीमार जोन, दिनांक 15.01.2026:-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पोड़ीमार जोन के अंतर्गत श्रीमती जयवन्ती वाहने पति श्री डी.एस. वाहने, पता-स्वागत गेट के पास, पोड़ीबहार, कोरबा (छ.ग.) घरेलू विद्युत कनेक्शन है, जिसका बीपी क्रमांक 1006251137 है। उक्त कनेक्शन के संबंध में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर में प्रकरण पं० जीबद्ध है जिसका प्रकरण क्रमांक एल.टी.-25095 है। उक्त प्रकरण के संबंध में 05 बिन्दु में जानकारी के साथ दिनांक 19.01.2026 को फोरम, बिलासपुर में उपस्थित होने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है, बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है-

1. परिवादी द्वारा शिकायत का बिन्दुवार जवाब एवं दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत है।
2. परिवादी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को मीटर बंद होने की सूचना पत्र के माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी।
3. मीटर बाईपास के संबंध में पत्र क्र 3341 / राजस्व/2025-26/1712 कोरबा दिनांक 04.08.2025 वाट्सअप के माध्यम से कार्यालय कार्यपालन अभियंता (नगर-संभाग) कोरबा के द्वारा प्रेषित किया गया। जिसमें संलग्न सूचि में क्र० 07 में आवेदन जयंती वाहने के परिसर में दिनांक 16.06.2025 से मीटर बाईपास होने संबंधी लेख किया गया।





4. दिनांक 04.08.2025 को कु. गरिमा गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता, पोड़ीमार जोन द्वारा परिवादी के परिसर में संचा. / संधा. जॉच किया गया जिसमें उपभोक्ता द्वारा अनाधिकृत तरीके से मीटर को बायपास कर विद्युत का उपयोग किया जाना पाया गया। जिसका स्थल निरीक्षण प्रपत्र एवं गणना पत्रक संलग्न प्रेषित है।
5. उक्त परिसर में दिनांक 14.11.2024 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। जिसमें बकाया राशि होने कारण दिनांक 21.03.2025 को स्मार्ट मीटर की विद्युत आपूर्ति ऑनलाईन बंद की गई थी एवं उपभोक्ता के द्वारा रु 4110/- दिनांक 21.03.2025 को समय 13.17 बजे ऑन लाईन भुगतान किया गया।
6. दिनांक 13.01.2026 को परिसर का पुनः जॉच किया गया जिसका जॉच प्रतिवेदन संलग्न प्रेषित है।

#### 4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क:-

1. यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब की कंडिका 01 का कथन सही होने से स्वीकार है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
2. यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब की कंडिका 02 का कथन दिनांक 04.08.2025 को वाट्सअप के माध्यम से कार्यालय कार्यपालन अभियंता (नगर संभाग) कोरबा के द्वारा प्रेषित सूची के क्रमांक 07 में आवेदक जयंती वाहने के परिसर में दिनांक 16.06.2025 से मीटर बायपास होने संबंधी लेख किया गया है, गलत होने पर आपत्ति है, जो बिना स्थल निरीक्षण जांच परीक्षण कार्यवाही के मीटर बायपास होने संबंधी लेख किया जाना विधि विरुद्ध है।
3. यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब की कंडिका 03 विधि विरुद्ध होने से पूर्णतः आपत्ति है कि सहायक अभियंता सी.एस.पी.डी.सी.एल पोड़ीमार जोन कोरबा द्वारा मीटर बंद होने की सूचना दिनांक 19.06.2025 के आवेदन का कोई निराकरण / निवारण किये बिना ही परिवादी के परिसर में दिनांक 04.08.2025 को कनिष्ठ अभियंता पोड़ीमार द्वारा अपनी सेवा में कमी को छिपाते हुए परिवादी के परिसर में जांच कर उपभोक्ता द्वारा अनाधिकृत तरीके से मीटर को बायपास कर विद्युत उपयोग करने का मामला बनाते हुए दिनांक 04.08.2025 को दिनांक 21.03.2025 से स्मार्ट मीटर बंद होने का हवाला देते हुए अनाधिकृत तरीके से विद्युत जोड़कर उपयोग करने का झूठा मामला तैयार कर उपभोक्ता को 05 माह का अधिभार आंकलन कर प्रोविजनल बिल 13685/- (तेहर 5 हजार छः सौ पचासी रुपये) का दिया गया, जो कि विधि विरुद्ध है, अपने जवाब की कंडिका 02 में दिनांक 16.06.2025 से मीटर बायपास होने संबंधी लेख किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 05 माह का अधिभार को प्रोविजनल बिल पूर्णतः संदेहास्पद है, विद्युत विभाग द्वारा अपनी सेवा की कमी को छिपाते हुए उपभोक्ता को परेशान करने की नियत से झूठा जांच कार्यवाही कर विद्युत चोरी का मामला बनाया गया है।



340

Amber

4. यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब की कंडिका 04 का कथन बकाया राशि होने के कारण दिनांक 21.03.2025 को स्मार्ट मीटर की विद्युत आपूर्ति आनलाईन बंद की गयी थी, जिसका भुगतान दिनांक 21.03.2025 को 13:17 बजे आनलाईन भुगतान किया गया लेख है, जबकि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 20.03.2025 को बिजली बिल आनलाईन भुगतान किया गया है, यहां भी दिनांक 21.03.2025 को बकाया राशि होने का व विद्युत आपूर्ति बंद होने का मामला संदेहास्पद है कि दिनांक 21.03.2025 को अनाधिकृत तरीके से जोड़कर विद्युत का उपयोग किया जाना दर्ज कर 05 माह का अधिभार प्रोविजनल बिजली बिल राशि 13685/- (तेहर हजार छः सौ पचासी रुपये) का दिया गया है, जो कि जांच का विषय है।
5. यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब की कंडिका 05 का कथन औपचारिक होने से जवाब देने योग्य नहीं है।

// विशिष्ट कथन //

6. यह कि परिवारी 72 वर्षीय वृद्ध महिला जो परिसर में अकेली रहती है, दो माह से विद्युत स्मार्ट मीटर खराब होने के कारण अपने पुत्र शिव कुमार वाहने के पास रहने लगी, जो उसी परिसर के पास ही रहता है। परिवारी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को स्मार्ट मीटर खराब होने के संबंध में लिखित सूचना पत्र विद्युत विभाग को किया गया था। जहां सहायक अभियंता श्रीमती अनुभा लकड़ा के द्वारा त्वरित मीटर सुधार का आश्वासन देते हुए फिलहाल अस्थायी लाईन जोड़ने का आश्वासन स्वयं कर लेने को कहा गया था। तब परिवारी द्वारा अजय प्राईवेट लाईनमेन से दिनांक 20.06.2025 को अस्थायी विद्युत कनेक्शन जोड़वाया गया, जिसे जानते हुए विद्युत विभाग द्वारा परिवारी के आवेदन पर कोई कार्यवाही किये बिना ही विधि विरुद्ध तरीके से परिवारी के परिसर का विद्युत चोरी का मामला बनाते हुए अतिरिक्त भार सहित प्रोविजनल बिल प्रदान किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। उपभोक्ता परिवारी द्वारा अपने उपरोक्त आपत्ति के साथ प्रोविजनल बिल जिस पर वर्तमान बिल प्रमायोजित कर अधिभार से बचने हेतु दिनांक 23.01.2026 को आनलाईन भुगतान किया गया है। उपभोक्ता को प्रदान विधि विरुद्ध प्रोविजनल बिल जिसे उपभोक्ता को परेशान करने व उपभोक्ता के लिखित सूचना पर कार्यवाही नहीं करने व अपनी सेवा में कमी को छुपाते हुए परिवारी को परेशान किया गया है, जिसके एवज में परिवारी को विद्युत कंपनी द्वारा प्रोविजनल बिल के 10 गुना राशि प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि परिवारी के परिवार पर त्वरित जांच करते हुए आज्ञाप्तिधारी कंपनी के विरुद्ध परिवारी द्वारा भुगतान प्रोविजनल बिल की राशि के 10 गुना राशि परिवारी को वापस दिलाये जाने का आदेश करने की कृपा करे।

5. उभयपक्ष द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तर्क:-

1. उपभोक्ता प्रतिनिधी का कथन है कि परिसर का लाईन दिनांक 19.06.2025 को दिया गया था जिस पर विभाग के 2 से 3 कर्मचारी परिसर में आये और चेक कर बताया गया कि

आपका लाईन रायपुर से बंद है। जिस पर मेरे द्वारा लकरा मैडम को सूचित किया गया तब उनके द्वारा बिल विवरण देख कर बताया गया कि बिल का नियमित भुगतान हो रहा है इसकी जांच हम कराते हैं। अतः आप अपने स्तर पर लाईन की जांच करावें। इसके आधार पर मेरे द्वारा प्रायवेट लाईन में लाईन से जांच कराने पर मिस्त्री के द्वारा बताया गया कि पोल से सप्लाई आ रहा है किन्तु मीटर से घर की ओर सप्लाई नहीं आ रहा है। जिस पर मिस्त्री के द्वारा विद्युत सप्लाई घर की ओर करते हुये विद्युत सप्लाई को दुरुस्त कराते हुये लाईन चालू कराया गया है। इसके बाद दिनांक 04.08.2025 को विभाग के द्वारा परिसर की जांच करते हुये चोरी करने का प्रकरण बनाते हुये स्मार्ट मीटर लगने की तिथि से बिल बनाते हुये बिल राशि 13685/- रु का बिल भुगतान, माह 11/2025 की स्थिति में सभी राशि का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 27.01.2026 को प्रस्तुत आवेदन/लिखित तर्क को स्वीकर करते हुये न्यायसंगत कार्यवाही करते हुये न्याय दिलाने की कृपा करें।

2. अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि उपभोक्ता के बकाया राशि 4110.00 होने के कारण आनलाईन विद्युत विच्छेदन दिनांक 21.03.2025 की कार्यवाही की गई थी। जो कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग के एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता का लाईन दिनांक 22.03.2025 समय 12.48 दोप० से दिनांक 09.09.2025 समय 14.21 तक मीटर में कोई विद्युत विद्युत खपत दर्ज नहीं हुआ है। इसी आधार पर उपभोक्ता उक्त अवधि का विद्युत अधिनियम की धारा 126/135 के तहत बिलिंग किया गया है। जिसकी भुगतान परिवादी के द्वारा कर दिया गया है। चूंकि यह प्रकरण विद्युत चोरी से संबंधित है जो कि माननीय फोरम के सुनवाई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अतः प्रकरण को निरस्त करने की कृपा करें।

6. परिवाद पत्र, जवाबदावा आरोपित/प्रत्यारोपित, तथ्यों/आधारों, संलग्न दस्तावेजों, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्क के आधार पर योग्य निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एकमुश्त संचयी के आधार पर जारी किया गया देयक उचित है?
2. क्या अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा परिवादी के विरुद्ध सेवा में कमी किया गया है?
3. क्या परिवादी अनुज्ञप्तिधारी से वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

8. फोरम के निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष :-

1. प्रकरण के अभिलेखों में अनुज्ञप्तिधारी क्रमांक 1 व 2 छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सेवारत कर्मचारी हैं व परिवादी उक्त संस्थान का विद्युत उपभोक्ता है। परिवादी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के संस्थान से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया, जिसका विद्युत कनेक्शन क्रमांक 1006251137 है।
2. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिवादी को एकमुश्त संचयी खपत दर्ज कर देयक भुगतान हेतु प्रदाय किया गया। जिसे नियमानुसार पुनरीक्षित करने हेतु परिवादी के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में विधिवत् आवेदन पत्र दिया गया था।

*[Signature]*

*[Signature]*

7. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने जवाब/आपत्ति के पत्र क्रमांक 5938 दिनांक 01.01.2026 में यह उल्लेख किया गया है कि "परिवादी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को मीटर बंद होने की सूचना पत्र के माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी। मीटर बाईपास के संबंध में पत्र क्र 3341 / राजस्व/2025-26/1712 कोरबा दिनांक 04.08.2025 वाट्सअप के माध्यम से कार्यालय कार्यपालन अभियंता (नगर-संगम) कोरबा के द्वारा प्रेषित किया गया। जिसमें संलग्न सूचि में क्र 07 में आवेदन जयंती वाहने के परिसर में दिनांक 16.06.2025 से मीटर बाईपास होने संबंधी लेख किया गया। दिनांक 04.08.2025 को कु. गरिमा गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता, पोड़ीमार जोन द्वारा परिवादी के परिसर में संचा./संधा. जाँच किया गया जिसमें उपभोक्ता द्वारा अनाधिकृत तरीके से मीटर को बायपास कर विद्युत का उपयोग किया जाना पाया गया। जिसका स्थल निरीक्षण प्रपत्र एवं गणना पत्रक संलग्न प्रेषित है। उक्त परिसर में दिनांक 14.11.2024 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। जिसमें बकाया राशि होने कारण दिनांक 21.03.2025 को स्मार्ट मीटर की विद्युत आपूर्ति ऑनलाईन बंद की गई थी एवं उपभोक्ता के द्वारा रु 4110/- दिनांक 21.03.2025 को समय 13.17 बजे ऑन लाईन भुगतान किया गया।"

3. परिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया कि परिवादी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को स्मार्ट मीटर खराब होने के संबंध में लिखित सूचना पत्र विद्युत विभाग को किया गया था। जहां सहायक अभियंता श्रीमती अनुभा लकड़ा के द्वारा त्वरीत मीटर सुधार का आश्वासन देते हुए फिलहाल अस्थायी लाईन जोड़ने का आश्वासन स्वयं कर लेने को कहा गया था। तब परिवादी द्वारा अजय प्राईवेट लाईनमेन से दिनांक 20.06.2025 को अस्थायी विद्युत कनेक्शन जोड़वाया गया, जिसे जानते हुए विद्युत विभाग द्वारा परिवादी के आवेदन पर कोई कार्यवाही किये बिना ही विधि विरुद्ध तरीके से परिवादी के परिसर का विद्युत चोरी का मामला बनाते हुए अतिरिक्त भार सहित प्रोविजनल बिल प्रदान किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। उपभोक्ता परिवादी द्वारा अपने उपरोक्त आपत्ति के साथ प्रोविजनल बिल जिस पर वर्तमान बिल समायोजित कर अधिभार से बचने हेतु दिनांक 23.01.2026 को आनलाईन भुगतान किया गया है।

4. अभ्यक्ष द्वारा दिए गए तर्क, जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर फोरम का निष्कर्ष यह है कि परिवादी द्वारा दिनांक 19.06.2025 को आवेदन प्रस्तुत कर मीटर बंद की सूचना देते हुए मीटर बदलने हेतु निवेदन किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मीटर विगत दो माह से बंद है तथा इसकी मौखिक सूचना संबंधित कर्मचारियों को दी गई थी। जिस पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया। परिवादी के परिसर की लाईन बंद होने संबंधित शिकायत कार्यालय में जाकर किए जाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा मीटर की लाईन रायपुर से बंद होने की बात कहते हुए स्वयं व्यवस्था करने की बात कहे जाने संबंधित लेख परिवादी द्वारा किया गया है।

5. यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिवादी के परिसर की जांच दिनांक 04.08.2025 को किया गया जिसमें उनके परिसर में लाईन बायपास कर विद्युत का अवैध उपयोग किए जाने संबंधित प्रकरण तैयार किया गया तथा प्रकरण विशेष न्यायालय में दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु कार्यपालन यंत्री (नगर) संभाग, छ0रा0वि0प्र0कं0मर्या0 कोरवा को पत्र प्रस्तुत किया गया।
6. यह कि परिवादी द्वारा नियमित रूप से विद्युत देयक का भुगतान किए जाने के उपरांत भी परिवादी के परिसर की लाईन विच्छेदित कर दिया गया जिसकी शिकायत अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष किए जाने पर विद्युत देयक पुनरीक्षित किए जाने एवं मीटर की जांच की कार्यवाही नहीं किया गया, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

7. चूंकि परिवादी द्वारा पूर्व में ही मीटर बंद होने संबंधित शिकायत प्रस्तुत किया गया जिस पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया उसके उपरांत विद्युत का अवैध उपयोग का प्रकरण तैयार किया जाना, न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 की कंडिका 9.16 (बी) के बिन्दु क्रमांक (4) (यदि मीटर संयोजन तिथि से बंद/खराब रहा हो या संयोजन के पश्चात् पर्याप्त अवधि का विश्वसनीय खपत उपलब्ध न हो तो अच्छा मीटर लगाने के पश्चात् के तीन माह/बिलिंग चक्र के औसत खपत पर विचार किया जाये।) के तहत मीटर बंद अवधि के दौरान का औसत खपत का निर्धारण कर पुनरीक्षित विद्युत देयक जारी किया जाना उचित होगा।

8. चूंकि अनुज्ञप्तिधारी क्रमांक 1 व 2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वि.क.मर्या. के अधीनस्थ कर्मचारी हैं। अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा किये गये समस्त कार्यवाही अपने पदीय दायित्वों व पदीय कर्तव्यों के हैशियत से किये जाने से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों का जो भार है, वह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वि.क.मर्या. का दायित्वधन के अंतर्गत है।

8. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर इस फोरम की सुविचारित मत एवं छ.रा.वि.प्र.संहिता 2011 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 06.03.2023 के अंतर्गत परिवादी अपना परिवादपत्र, अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः परिवादी का परिवाद पत्र नियमानुसार स्वीकार किया जाता है, और अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

1. अनुज्ञप्तिधारी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को जारी किया गया अतिरिक्त देयक को निरस्त करते हुए छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 की कंडिका 9.16 (बी) के बिन्दु क्रमांक (4) के तहत मीटर बंद/खराब अवधि के दौरान का औसत खपत का निर्धारण कर शासन द्वारा दिए जा रहे हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ देते हुए पुनरीक्षित विद्युत देयक जारी करते हुए उस पर अधिरोपित अधिभार को निरस्त किया जावे तथा परिवादी द्वारा इस अवधि में उक्त देयकों के विरुद्ध भुगतान की गई राशि को नियमानुसार समायोजित किया जावे।

*[Signature]*

*[Signature]*

2. फोरम का निर्णय यह है कि परिवादी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को मीटर बंद होने संबंधित जानकारी हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.06.2025 से एक सप्ताह (सात कार्य दिवस) पश्चात् 27.06.2025 तक कार्यवाही किया जाना था। अतः दिनांक 30.06.2025 से जांच दिनांक 04.08.2025 तक कुल 36 दिवस का विलंब किया गया है, जो कि सेवा में कमी है। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 30.08.2024 के अनुसूची I एवं II का अनुलग्नक परफार्मेंस के मानक प्राप्त करने में विफलता पर उपभोक्ता को देय प्रतिकर के बिन्दु क्रमांक 3 (ख) (SOP) के अनुसार रु. 500/- प्रत्येक दिवस विलम्ब के दर से क्षतिपूर्ति देय है। अतः परिवादी द्वारा प्रपत्र "अ" प्रस्तुत करने पर क्षतिपूर्ति छ0रा0वि0प्र0 संहिता 2011 के अध्याय 4 की कंडिका 4.3 (All Payments of compensation shall be made by the licensee by way of adjustment against existing, current and/or future bills for supply of Electricity.) के तहत प्रदान की जावे एवं क्षतिपूर्ति की राशि जांच कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल किया जावे।

तदनुसार आदेश पारित किया गया।

9. यदि परिवादी इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल, कार्यालय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक भवन परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर रायपुर में अपील कर सकता है।

(प्रीति रानी साव)  
सदस्य

(सी.एम. बाजपेयी)  
अध्यक्ष